of Andhra Pradesh State Electricity Board for installation of two units of 500 MW each at Vishakhapatnam at an estimated cost of Rs. 1560.28 Crores was techno-economically cleared by the Central Electricity Authority on the 23rd October, 1990, subject to the confirmation of water availablity from the State Irrigation Department as well as the Central Water Commission and. the submission of Ely Ash Utilisation Management Plan by the APSEB. The water availability for the Project has since been confirmed by the Irrigation Department of Andhra Pradesh but the clearance of the CWC is still awaited. The plan for fly ash utilisation has been received from APSEB on which certain clarification have been sought from APSEB by the Central Electricity Authority.

The Project Report submitted by NTPC in December '87, tor Manuguru STPS, 2x500 MW, at an estimated cost of Rs. 1129.60 Crores under Central Sector is under examination of the CEA. The Project could be considered for techno-economic clearance of the CEA after all the inputs/clearances such as Coal linkage, E&P clearance and Associated Transmission System etc are tied up.

आठवीं योजना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम करना

81. **श्री राम जेठमलानी** : क्या विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए बिजली उत्पादन के पूर्व-निर्धारित लक्ष्य को कम करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में किये गये पूर्व-निर्णय की पुनरीक्षा करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने विगत में इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक उपाय किये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का कार्यकरण

82. **श्री राम जेठमलानी** :
सरदार जगजीत सिंह अरोडा :

क्या विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डेमू ब्लेमड फोर लोड शैडिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण के सम्बन्ध में नियुक्त समिति ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में किन-किन कमियों का उल्लेख किया है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कमियों की पुनरावृत्ति न होने देने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि कथित समाचार, दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति और इसमें सुधार हेतु किए जाने वाले उपायों की आवधिक रूप से समीक्षा हेतु सरकार द्वारा गठित कृतिक बल के टीका-टिप्पणी पर

आधारित है । हाल ही में हुई बैठकों में से, एक बैठक में उक्त मंत्रालय ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) को विभिन्न 220 के० वी० पारेषण लाइनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने, राजघाट में तीन क्षति-ग्रस्त गैस टर्बाइनों और एक ताप-विद्युत यूनिट को शीघ्र पुनः चालू करने, वोल्टेज, प्रोफाइल को सतत आधार पर बनाए रखने हेतु पर्याप्त शेट कैपेसिटर्स, प्रतिष्ठापित करने आदि का सुझाव दिया था ।

(ग) और (घ) डेसू द्वारा गैस टर्बाइनों की मरम्मत संबंधी कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई है । राजघाट की यूनिट सं. 2 क मरम्मत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है इसके शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है । विभिन्न 220 के० वी० सबस्टेशनों के निर्माण संबंधी कार्य में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं जिसका कारण कुछ स्थानों पर डेसू के सामने "राइट आफ वे" संबंधी समस्याओं का होना है । डेसू द्वारा 220 एम. वी. ए. आर. कैपेसिटर्स हेतु पहले ही मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (भेल) को आर्डर दे दिया गया है ।

देश में बिजली के संचरण और वितरण में होने वाली हानि

83. श्री राम जेठमलानी:
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बिजली के संचरण और वितरण की प्रक्रिया में इसकी भारी हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष होने वाली हानि की मात्रा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देशों में इस प्रक्रिया में होने वाली बिजली की हानि की मात्रा का पता लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो विकासशील और विकसित देशों में इस हानि का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस हानि को रोकने के लिए तत्काल क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1988-91 के दौरान भारत में विभिन्न विद्युत प्रणालियों में औसत पारेषण एवं वितरण हानियां लगभग 23 प्रतिशत रही हैं ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) इन हानियों में कमी करने हेतु विद्युत यूटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :— अधिक हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणाली संबंधी घटकों का पता लगाने हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा करना, वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने हेतु कैपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना, उनकी पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा उनमें सुधार करने हेतु प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैम्पर प्रूफ मीटर बक्से लगाना और ऊर्जा की चोरी संबंधी मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना । भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के अन्तर्गत अगस्त, 1986 से ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है । पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के लिए वर्ष 1987 से एक प्रोत्साहन स्कीम आरंभ की गई है ।

Information facilities at Airports

84. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether any steps are contemplated by Indian Airlines to have better information facilities at arrival lounges;